



प्रेसनोट, दिनांक 04.12.2025
थाना आसीवन, जनपद उन्नाव

अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 02.12.2025 को उ0नि0 जयप्रकाश यादव मय हमराह पुलिस बल द्वारा संदिग्ध वाहन/ व्यक्ति की चैकिंग दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अनमोल पासवान पुत्र श्री रामकृष्ण उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम कटिघरा थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव को कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद कर ग्राम महोलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना आसीवन पर मु0अ0सं0 379/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का पंजीकृत किया गया है तथा गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता-

अनमोल पासवान पुत्र श्री रामकृष्ण उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम कटिघरा थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण-

एक अदद तमंचा 315 बोर

एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जयप्रकाश यादव
2. कां0 मनमोहन सिंह
3. कां0 रमाकान्त यादव





प्रेसनोट, दिनांक 04.12.2025
थाना पुरवा, जनपद उन्नाव

पशु क्रूरता अधिनियम के 06 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम के 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 02.12.2025 में उ0नि0 श्री गंगाप्रसाद मय हमराह पुलिस बल के साथ मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1.रामसिंह पुत्र नक्कू निवासी देवली थाना देवली जिला टोंक राजस्थान 2.शम्भू पुत्र विजय सिंह निवासी देवली जिला टोंक राजस्थान 3.अजय चौहान पुत्र मुकेश चौहान निवासी ग्राम रानीपुरा थाना डवलाना जिला बूंदी राजस्थान 4.किशन सिंह पुत्र बादाम सिंह निवासी बडौदिया थाना हिण्डौली जिला बूंदी राजस्थान 5. हरि सिंह पुत्र दल्ला निवासी बडौदिया थाना हिण्डौली जिला बूंदी राजस्थान 6. भूरी बाई पत्नि हरीसिंह निवासी बडौदिया जिला बूंदी राजस्थान को कब्जे से 41 राशि बैल व 31 राशि गाय कुल 72 गौवंशो को बरामद कर मरुई कच्ची सडक से गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना पुरवा पर मु0अ0सं0 412/2025 धारा 11(1)घ पशु क्रूरता अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा बरामद गौवंश को अलग-अलग गौशालाओ में गौशाला संचालक को सुपुर्द किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण नाम व पता-

- 1.रामसिंह पुत्र नक्कू निवासी देवली थाना देवली जिला टोंक राजस्थान
- 2.शम्भू पुत्र विजय सिंह निवासी देवली जिला टोंक राजस्थान
- 3.अजय चौहान पुत्र मुकेश चौहान निवासी ग्राम रानीपुरा थाना डवलाना जिला बूंदी राजस्थान
- 4.किशन सिंह पुत्र बादाम सिंह निवासी बडौदिया थाना हिण्डौली जिला बूंदी राजस्थान

5. हरि सिंह पुत्र दल्ला निवासी बडौदिया थाना हिण्डौली जिला बूदी राजस्थान

6. भूरी बाई पत्नि हरीसिंह निवासी बडौदिया जिला बूदी राजस्थान

बरामदगी का विवरण-

कुल 72 गौवंश

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० श्री गंगाप्रसाद
- 2.उ०नि० श्री विनोद सिंह
3. हे०का० ज्ञानेश भारती
- 4.का० शेषनरायण द्विवेदी
- 5.का० वीरेन्द्र सागर
- 6.का०अशुल कुमार
- 7.का० सुर्यप्रताप
- 8.का० किशन
- 9.म०का० समानता



